

२०१२/१६

अभियुक्त उपा। प्राथिका पत्र अंगीकार स्वीकार किया  
जाता है। किन्तु अभियुक्त मरे द्वारा मूल प्रकरण  
सं. ६/२०१६ अन्तर्गत धारा ६ अ आवश्यक वस्तु अधिनियम  
में लिखवाया जाकर सुनाया गया। प्राथिका पत्र  
इसके अन्तर्गत मूल प्रकरण सं. ६/२०१६ के सलम  
हैं।

(गौरव मोयल)  
जिला कलेक्टर, अजमेर